

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2-
संख्या- 1127/ग्यारह-2-24-9(47)/17-टी.सी.-265-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-
(327)-2024
लखनऊ: दिनांक: 10 अक्टूबर, 2024
अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा, अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-851/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(18)-2017 दिनांक-30-06-2017, में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां सतम्भवार बढ़ा जी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"8.	72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 या 81	धातु स्क्रेप	कोई भी अरजिसूद्रीकृत व्यक्ति।	कोई भी रजिसूद्रीकृत व्यक्ति।

2. यह अधिसूचना दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,

Signed by

M Devaraj (देवराज)

Date: 10-10-2024 21:44:15